भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2925

06 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता

2925. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) भंडारण क्षमता का निरंतर आकलन और निगरानी करता है और आवश्यकता तथा भंडारण अंतर आकलन के आधार पर, कर्नाटक सहित अखिल भारतीय स्तर पर योजनाओं के माध्यम से भंडारण क्षमताएं सृजित/किराए पर ली जाती हैं और इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए कितना वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है; और

(ग) गोदाम क्षमता/गोदामों के विस्तार के लिए अब तक राज्यों को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): जी हाँ, भारतीय खाद्य निगम भंडारण क्षमता का निरंतर आकलन और निगरानी करता है और भंडारण अंतराल के आकलन के आधार पर, कर्नाटक सहित पूरे भारत में निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से भंडारण क्षमताएँ निर्मित/किराए पर ली जाती है:-

1. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना
2. केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) "भंडारण एवं गोदाम" (पूर्वोत्तर पर केन्द्रित) 2017-25
3. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत साइलो का निर्माण
4. केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूएस)/ राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी)/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना।

...2/-

5. निजी भंडारण योजना (पीडब्ल्यूएस) के माध्यम से गोदाम किराए पर लेना।
6. परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्व वाली भूमि पर गोदामों का निर्माण
7. कवर्ड एवं प्लिंथ हायरिंग (सीएपी) योजना-2025
8. पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों के लिए 15 वर्ष की लंबी गारंटी अवधि वाली संशोधित पीईजी योजना

देश में कुशल भंडारण प्रणाली विकसित करने के लिए भंडारण सुविधाओं को बढ़ाने हेतु प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग): साइलो और पीईजी का निर्माण निजी पक्षों द्वारा पीपीपी पद्धति में अपनी निधि से किया जाता है और भंडारण शुल्क/किराया एफसीआई द्वारा वहन किया जाता है।

केंद्रीय क्षेत्र योजना (2017-25) के तहत, मंत्रालय द्वारा एफसीआई को दो शीर्ष, अर्थात पूर्वोत्तर क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अलावा, के तहत निधि जारी की जाती है।

इस सीएसएस 2017-25 के तहत पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित वित्तीय परिव्यय 379.50 करोड़ रुपये और पूर्वोत्तर के अलावा अन्य के लिए 104.58 करोड़ रुपये था और इसे इन्हें आगे कार्यस्थल की आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित आंचलिक कार्यालयों में उपयोग/वितरित किया गया।

पूर्वोत्तर क्षेत्र शीर्ष के तहत 379.50 करोड़ रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा अन्य शीर्ष के तहत 104.58 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

*****